web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 25 मार्च 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 175

मुख्यमंत्री की किसानों के हित में बड़ी घोषणा : समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर अब की जाएगी 20 क्विंटल

❐ विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 पारित

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। विधानसभा में चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई हैं। सम्पूर्ण विश्व आज खाद्य संकट की अग्रसर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कृषि का अलाभप्रद होना। हमारी सरकार बनते ही हमने किसानों की ऋण माफी की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को सशक्त बना रहे हैं। उन्हें इनपुट सब्सिडी का लाभ भी दे रहे हैं। समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने जा रहे हैं। मैं भेंट-मुलाकात में जहां भी गया किसानों की एक ही मांग थी, समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक अप्रैल से आवासहीनों, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालय के हितग्राहियों का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे, उन्हें क्रमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जीएसडीपी से निर्धारित होता है। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी वर्ष 2018 में 03 लाख 27 हजार 106 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 05 लाख 09 हजार 43 करोड़ अनुमानित है। मार्च 2020 से निरंतर 02 वर्ष तक कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियां मंद होने के बावजूद राज्य शासन की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था के आकार 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि वर्ष 2022-23 में 8 प्रतिशत अनुमानित, जो अखिल भारतीय जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक। स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित विकास दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है।

कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक- मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 5.93 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.50 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 7.83 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 4.10 प्रतिशत इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 9.21 प्रतिशत और राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.10 प्रतिशत रही। राज्य के स्वयं के करों का राजस्व वर्ष 2018-19 में 21 हजार 427 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 38 हजार करोड़ अनुमानित (77 प्रतिशत वृद्धि) है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वयं का करेत्तर राजस्व वर्ष 2018-19 में 07 हजार 703 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 18 हजार 200 करोड़ अनुमानित - (दो गुणा से अधिक वृद्धि) है। इस प्रकार राज्य का स्वयं का कुल राजस्व वर्ष 2018-19 में 29 हजार 130 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 56 हजार 200 करोड़ अनुमानित - (93 प्रतिशत की वृद्धि) है। केन्द्रीय प्राप्तियां वर्ष 2018-19 में रु. 35 हजार 963 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 49 हजार 800 करोड़ अनुमानित (38 प्रतिशत वृद्धि) है। इस प्रकार वित्त 04 वर्षों में केन्द्रीय प्राप्तियां 38 प्रतिशत एवं राज्य की राजस्व प्राप्तियां 93 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

चार हजार 471 करोड़ का राजस्व आधिक्य- मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में कुल व्यय 73 हजार 565 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ अनुमानित (65 प्रतिशत वृद्धि) है। वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय रु. 08 हजार 903 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु 18 हजार 660 करोड़ अनुमानित (2 गुणा से अधिक वृद्धि) है। पिछले 4 वर्षों में से कोविड-19 प्रभावित 02 वर्षों को छोड़कर शेष वर्षों में राजस्व आधिक्य - वर्ष 2023-24 में भी राजस्व आधिक्य 03 हजार 500 करोड़ अनुमानित एवं एजी लेखा अनुसार माह जनवरी 2023 में 04 हजार 471 करोड़ का राजस्व आधिक्य है।

इस वर्ष बाजार से कोई ऋण नहीं लिया- मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए राशि उपलब्धता में ऋण पर कम निर्भरता रही। राज्य सरकार ने इस वर्ष बाजार से कोई ऋण नहीं लिया है। गत वर्ष 2021-22 में भी राज्य द्वारा मात्र 865 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया था। वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ का ऋणभार जीएसडीपी का 17.9 प्रतिशत, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत से बहुत कम है। वर्ष 2023-24 छत्तीसगढ़ द्वारा ऋणों के ब्याज भुगतान पर राजस्व प्राप्तियों का 6.5 प्रतिशत, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से बहुत कम है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन, कम ऋण व सीमित ब्याज भार के कारण विकास कार्यों हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध।

सकल वित्तीय घाटा निर्धारित सीमा से कम- मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआरबीएम एक्ट में जीएसडीपी के 03 प्रतिशत तक वित्तीय घाटे की सीमा निर्धारित है। कोविड-19 आपदा को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक वित्तीय घाटे की सीमा में शिथिलता दी गई थी, किन्तु वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक यह सीमा पुन: 03 प्रतिशत निर्धारित की गई है। वर्ष 2023-24 में 15 हजार 200 करोड़ सकल वित्तीय घाटा अनुमानित है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (5,09,043 करोड़) का 2.99 प्रतिशत है।

महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सभी राज्य टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट-वैक्सीनेशन पर करें फोकस

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना को लेकर मोदी सरकार किसी भी ढील को सहन नहीं करने वाली और इसीलिए कल पीएम नरेंद्र मोदी ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वह टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट-वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार की 'फाइव फोल्ड स्ट्रेटेजी' पर फोकस करना जारी रखें। मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना में कहा गया, हम कोविड-19 की तैयारियों को देखने के लिए एक और मॉक ड्रिल करेंगे। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जल्द ही मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जोर देकर कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते के आंकड़े के मुताबिक दुनिया में 93977 मामले रोज़ाना आ रहे हैं। अमेरिका में 19प्रतिशत, रूस में 12.6प्रतिशत, चीन में 8.3प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 8प्रतिशत और भारत 1प्रतिशत मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में छह लहर तक आई हैं और भारत में ही हमने तीन लहर देखी हैं।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 31 मार्च तक करें अप्लाई

भोपाल (आरएनएस)। भारतीय वायुसेना (अग्निवीर) में भर्ती के लिये इच्छुक आवेदक 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उप संचालक रोजगार संचालनालय सी के बघेल ने बताया कि ऐसे युवा जिनका जन्म 20 दिसम्बर 2002 से 26 जून 2006 के मध्य हुआ है, वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी भारतीय वायुसेना भर्ती की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट का लिंक एमपी रोजगार पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता देश की अखंडता के खिलाफ गतिविधि : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ एक गतिविधि माना जाना तय है। शीर्ष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की वैधता की पुष्टि की है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि वह व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं होता है। जस्टिस शाह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद भी उसकी सदस्यता जारी रखता है तो वह सजा का भागी होगा।

राहुल गांधी को बड़ा झटका, लोकसभा सचिवालय ने खत्म की संसद सदस्यता

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गयी है।

राहुल गांधी को सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने गुरुवार को 2019 में आपराधिक मानहानि कारक उनके वक्तव्य को लेकर दायर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत कुसूरवार करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनायी है। सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है।

यह मामला भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान श्री गांधी एक जाति विशेष के खिलाफ की गयी टिप्पणी को लेकर दायर किया था। कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना था कि ऐसे मामले में राहुल गांधी की सांसद के रूप में योग्यता तत्काल और स्वत: प्रभावी हो जाती है। भले ही अदालत ने 15 हजार रुपये के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली हो।

कांग्रेस ने इस मामले को कानून की गलत व्याख्या बताते हुए इसकी आलोचना की है और कहा है कि वह इसके खिलाफ अपील करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश का हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है।

चार साल से ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविक आज लौट रहे हैं स्वदेश

मुंबई (आरएनएस)। लगभग चार साल से ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविक शुक्रवार दोपहर अपने घर लौट रहे हैं। यह जानकारी उनके परिजनों ने दी।

लौटने वालों में अनिकेत एस. येनपुरे और मंदार एम. वर्लीकर (दोनों मुंबई), प्रणव ए. तिवारी (पटना), नवीन एम. सिंह (नई दिल्ली) और थमिजह आर सेलवन (चेन्नई) शामिल हैं।

उनकी दुर्दशा को पहली बार 4 जुलाई, 2021 को आईएएनएस द्वारा उजागर किया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे वे फरवरी 2020 में ओमान के पास गहरे समुद्र में नौकायन कर रहे थे और अनजाने में समुद्री नशीले पदार्थों की तस्करी के रैकेट में फंस गए। अनिकेत येनपुरे के पिता शाम येनपुर ने बताया कि इसके लिए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, बरी किया गया, और फिर जेल में डाल दिया गया। ईरान के विभिन्न शहरों में घूमे, कानूनी लड़ाई लड़ी। कई बार छिपकर दूर-दराज के इलाकों में ग्रामीणों द्वारा दिए गए भोजन और कपड़ों पर जीवित रहे।

शिरडी की पदायात्रा करते हुए शाम येनपुरे ने कहा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके पूर्व मंत्री बेटे आदित्य ठाकरे, भारत में ईरानी राजनयिकों और ईरान में भारतीय राजनयिकों, ईरान के शीर्ष नेताओं और अन्य लोगों से मदद के लिए संपर्क किया।

20 फरवरी, 2020 तक इन पांचों के लिए सब कुछ अच्छा था। लेकिन इसके बाद वे अनजाने में मस्कट से लगभग 140 किमी दूर गहरे समुद्र में अपने जहाज के कप्तान के एक भयावह जाल में फंस गए।

अवैध मिड-सी कार्गो ट्रांसफर में कुछ गलत होने का आभास होने पर, वर्लीकर और उनके सह-चालक दल ने चुपचाप इसे अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया।

अगली सुबह, एक ईरानी नौसेना के जहाज ने बीच में ही रोक लिया और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नौसेना के जहाज में स्थानांतरित कर दिया।

शाम येनपुरे ने अफसोस जताया, फरवरी 2020 के बाद जैसे-जैसे घटनाएं सामने आईं, इन लडक़ों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि न केवल उनके सपने बिखर जाएंगे, बल्कि उन्हें कैद भी कर दिया जाएगा और लगभग चार साल तक अपने परिवारों से दूर रखा जाएगा।

पांचों को जहाज से उतार कर काउंटर-नारकोटिक्स विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया। 55 सप्ताह से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद पुलिस हिरासत में मिला, और बाद में 8 मार्च, 2021 को निर्दोष पाया गया और रिहा करने का आदेश दिया गया।

उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और एक उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने उनकी रिहाई का भी आदेश दिया, लेकिन उनकी यात्रा और अन्य दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया, जिससे पांचों युवक 10 मार्च, 2021 से वहां फंसे हुए थे।

इस बीच, ईरान सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में मामला चलता रहा, उन्हें स्थानीय वकीलों और भारतीय दूतावास और ईरान में विभिन्न वाणिज्य दूतावासों द्वारा मदद दी गई।

अब कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर लगेगा एफडी की तरह टैक्स

❐ लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त विधेयक 2023 पारित

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा ने अदानी मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग को लेकर भारी शोर-शराबे और नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शुक्रवार को सदन में पेश वित्त विधेयक 2023 के प्रस्तावों को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इस विधेयक के पारित होने से अब कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर मिलने वाला टैक्स बेनेफिट खत्म हो गया है और अब 1 अप्रैल 2023 से आपको पहले से ज्यादा टैक्स इन पर देना पड़ सकता है। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश पर मिलने वाला कैपिटल गेन टैक्स बेनेफिट खत्म हो गया है। इसकी जगह इन स्कीम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में लाया गया है। पारित हुए संशोधन के हिसाब से जिन डेब्ट फंड्स का इक्विटी शेयर में निवेश 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, अब उन पर आयकर की स्लैब के हिसाब से कर देना होगा। वहीं ऐसे निवेश पर लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसा कि बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स लगता है। हालांकि इसके लिए निवेश की अवधि तीन साल से कम होनी चाहिए।

वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अब वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे पहले गुरुवार को सदन ने विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विनियोग विधेयक 2023 पारित किया था। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण एक बार स्थगित होने के बाद 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसी बीच वित्त मंत्री ने 2023-24 वित्त वर्ष के लिए वित्त विधेयक के प्रस्ताव पेश किए। वित्त विधेयक पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेंशन में सुधार की बात भी कही। वित्त मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि एलआरएस का मुद्दा बहुत उठता है और कहा कि विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड के भुगतान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इस मामले में लोगों की सुविधा का ध्यान रखने के लिए रिजर्व बैंक से आग्रह किया गया है। वित्त मंत्री ने पेशन योजना पर बोलते हुए कहा कि कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने और राजकोषीय व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देते हुए पेंशन प्रणाली पर विचार किया जाएगा और इस काम के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। वित्त विधेयक 2023 के पारित होते ही पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से शांति बनाए रखने और अपनी-अपनी सीटों पर जाने के लिए कहा लेकिन उनकी अपील पर ध्यान दिए बिना सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया जिसे देखते हुए अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

कोविड के दौरान छोड़े गए दोषी, विचाराधीन कैदी सरेंडर करें : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड 10 महामारी के दौरान रिहा किए गए सभी दोषियों व विचाराधीन कैदियों को 15 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एमआर शाह एवं सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि अंडर ट्रायल कैदी जिनको कोविड महामारी के दौरान इमरजेंसी जमानत देकर रिहा किया गया था, सरेंडर करने के बाद संबंधित अदालतों के समक्ष नियमित जमानत के लिए जा सकते हैं।

दरअसल तब कई दोषियों और विचाराधीन कैदियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर वैश्विक महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों से रिहा किया गया था। इनमें से अधिकतर कैदियों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हैं, जो जघन्य प्रकृति के नहीं हैं।

अमित शाह की निगरानी में 1,235 करोड़ का ड्रग्स नष्ट, बोले- समुद्री मार्गों पर फोकस बढ़ाने की जरूरत

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में 'नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में जब्त किए गए 9,298 किलोग्राम मादक पदार्थों, जिसका मूल्य 1,235 करोड़ रुपये है, को नष्ट किया गया।

जानकारी के मुताबिक इस दौरान राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और कर्नाटक सरकार के बीच शिवमोगा में यूनिवर्सिटी का नया कैंपस खोलने संबंधी समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर हुए। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मादक पदार्थों के पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए इससे जुड़े मामलों में इसके स्रोत से लेकर गंतव्य तक गहन जांच की जानी चाहिए और किसी भी मामले को आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए।

अमित शाह ने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाया है और सभी विभागों व एजेंसियों के बीच कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाकर नशामुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है और दक्षिणी समुद्री मार्ग में चौकसी और बढ़ानी चाहिए।

शाह ने बताया कि वर्ष 2006-2013 के बीच कुल ड्रग्स के 1257 मामले दर्ज किए गए, जो 2014-2022 के बीच 152 प्रतिशत बढ़कर 3172 हो गए। जबकि, इसी अवधि के दौरान गिरफ्तारियों की कुल संख्या 1362 से 260 प्रतिशत बढ़कर 4888 हो गई। इसी तरह, 2006-2013 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए जिसकी मात्रा 2014-2022 के दौरान दोगुनी होकर 3.30 लाख किलोग्राम हो गई। वहीं वर्ष 2006-2013 के दौरान 768 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। वर्ष 2014-2022 के दौरान इसमें 25 गुना बढ़ोतरी हुई और 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 जून, 2022 से शुरू हुए 75 दिवसीय अभियान के दौरान 75,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक लक्ष्य से ज्यादा जब्त की गई कुल 5,94,620 किलोग्राम नशीली दवाओं, जिसका मूल्य 8,409 करोड़ रुपये है, को नष्ट किया जा चुका है।